

प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चंदौसी मार्ग (एन० एच० - 509) के कि० मी० चैनेज 20.000 से 34.100 कि० मी० बार्यी पटरी पर, मुरादाबाद - सम्मल मार्ग (एस० एच० - 148) के कि० मी० चैनेज 6.180 से 16.140 कि० मी० बार्यी पटरी पर, मेरठ - बरेली मार्ग(ओल्ड एन० एच० 24) के कि० मी० चैनेज 160.050 से 164.100 कि० मी० दार्यी पटरी व कि० मी० चैनेज 166.000 से 174.900 कि० मी० बार्यी पटरी, एवं मुरादाबाद - ठकुरद्वारा - काशीपुर मार्ग (न्यू एन० एच० - 734) के कि० मी० चैनेज 00.000 से 2.200 कि० मी० बार्यी पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 2.3544है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी ग्रयोग की अनुमति हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण कि लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई जायगी। इसके अतिरिक्त सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयो द्वारा जारी निर्देशो का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायगा।



टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
मुरादाबाद।

प्रभासीय निदेशक
(कृन्हयापटेल)
सामाजिक निदेशक प्रभाग
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।